संसद सदस्यों और केन्द्रीय मंत्रियों की सिफारिशों पर फ्लैटों / प्लाटों का आंवटन

3405. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्यों / केन्द्रीय मंत्रियों की सिफारिश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण से आवंटित फ्लैटों / प्लाटों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तत्संबंधी तिथिवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्होंने सांसदों / केन्द्रीय मंत्रियों की सिफारिशों पर कोई प्लाट / फ्लैट आवंटित नहीं किया है।

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि प्रदान करने हेतु मानदंड

3406. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि प्रदान करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या ये मानदंड सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों / संघशासित राज्यों को निधियां शहरी आबादी और निर्धनता की मात्रा के आधार पर आवंटित की जाती है। नाम मात्र के आवंटन को रोकने के लिए न्यूनतम राशि मानदंड भी अपनाया जाता है। तथापि, निधियां रिलीज करते समय उपयोगिता प्रमाण-पत्रों / प्राप्ति रिपोर्टों / किये गये व्यय की सूचना से व्यक्त कार्य निष्पादन को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1992-93 से किये गये आवंटनों और विभिन्न राज्यों / संघशासित राज्यों को रिलीज की गयी निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत नियतनों और 1992-93 से अब तक रिलीज की गई केन्द्रीय निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य / संघशासित राज्यों का नाम	1992-93		1993-94		1994-95	
		नियतन	रिलीज	नियतन	रिलीज	नियतन	रिलीज
1.	आन्ध्र प्रदेश	504.80	527.40	557.55	679.53	508.90	–
2.	बिहार	533.10	457.35	565.85	359.30	524.20	–
3.	गुजरात	240.00	198.45	269.45	212.52	246.40	–
4.	हरियाणा	104.90	111.90	105.90	123.29	106.30	–
5.	कर्नाटक	511.50	510.20	539.50	440.17	488.90	–
6.	केरल	206.30	225.90	225.30	234.82	206.50	–
7.	आन्ध्र प्रदेश	529.60	550.40	568.05	684.48	509.30	–
8.	महाराष्ट्र	652.50	700.50	669.60	669.60	608.60	–
9.	उड़ीसा	185.40	191.60	188.55	219.80	168.50	–
10.	पंजाब	178.60	192.90	184.45	216.47	165.60	–
11.	राजस्थान	355.60	309.40	366.65	379.60	327.60	–
12.	तमिलनाडु	588.10	587.00	638.15	765.58	586.70	–
13.	उत्तर प्रदेश	1374.50	1426.20	1440.05	1711.54	1308.30	–
14.	पश्चिम बंगाल	462.40	481.20	500.40	259.00	459.80	–